

ठोस अपशषिट प्रबंधन

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

[ठोस अपशषिट प्रबंधन](#), [लैंडफिल](#), [यूएनईपी](#), [ठोस अपशषिट प्रबंधन नियम 2016](#), [पशु जनन नियंत्रण कार्यक्रम](#)।

मेन्स के लिये:

आवारा कुत्तों और ठोस अपशषिट प्रबंधन से संबंधित मुद्दे, आगे की राह।

चर्चा में क्यों?

श्रीनगर में आवारा कुत्तों के हमलों की एक हालिया घटना ने स्ट्रीट डॉग्स के हमलों और खराब ठोस अपशषिट प्रबंधन के बीच संबंध को उजागर किया है।

खराब अपशषिट प्रबंधन और स्ट्रीट डॉग्स द्वारा बढ़ते हमलों में संबंध:

- भारतीय घरों ने औसतन 2019 में प्रतिव्यक्ति 50 किलोग्राम खाद्य अपशषिट उत्पन्न किया, जो भूखे-पीड़ित, खुले में घूमने वाले कुत्तों के लिये भोजन के स्रोत के रूप में काम करता है जिससे वे शहरों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं।
 - यह भोजन अक्सर शहरी क्षेत्रों में भूख से पीड़ित आवारा कुत्तों के लिये भोजन का स्रोत बन जाता है, जो भोजन की तलाश में [लैंडफिल या अपशषिट डंप](#) जैसे कचरा डंपिंग साइटों के आसपास घूम रहे होते हैं।
- जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि नगर नगिम के कचरे और इसके कुप्रबंधन ने सीधे तौर पर कुत्तों के काटने, सुस्त पशु जनन नियंत्रण कार्यक्रमों और अपर्याप्त बचाव केंद्रों के साथ-साथ खराब अपशषिट प्रबंधन में वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप भारत में सड़क पर रहने वाले जानवरों का प्रसार हुआ और जिसके कारण हमले हुए।

भारत के ठोस अपशषिट प्रबंधन के साथ क्या समस्या है?

- **परिदृश्य:**
 - ठोस अपशषिट में ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशषिट जैसे सैनिटरी वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, खानपान और बाज़ार का अपशषिट और अन्य गैर-आवासीय वेस्ट, सड़क की सफाई, सतही नालियों से निकाली गई गाद, बागवानी वेस्ट, कृषि और डेयरी वेस्ट, औद्योगिक अपशषिट को छोड़कर उपचारित बायोमेडिकल अपशषिट, बायो-मेडिकल वेस्ट तथा ई-वेस्ट, बैटरी वेस्ट, रेडियो-एक्टिव वेस्ट आदि शामिल हैं।
 - भारत में विश्व की आबादी का लगभग 18% और वैश्विक नगरपालिका अपशषिट उत्पादन में 12% का योगदान है।
 - भारत प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन अपशषिट उत्पादन करता है। इनमें से लगभग 43 मिलियन टन (70%) एकत्र किया जाता है, जिसमें से लगभग 12 मिलियन टन को उपचारित किया जाता है तथा 31 मिलियन टन लैंडफिल साइट्स में फेंक दिया जाता है।
 - खपत के बदलते पैटर्न और तेज़ी से आर्थिक विकास के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 में शहरी नगरपालिका ठोस अपशषिट उत्पादन बढ़कर 165 मिलियन टन हो जाएगा।
- **मुद्दा:**
 - **नयियों का खराब क्रियान्वयन:**
 - वर्ष 2020 के एक शोध पत्र में कहा गया है कि अधिकांश मेट्रो शहरों में अपशषिट को संग्रह करने वाले डबिबे या तो पुराने हैं या क्षतिग्रस्त हैं या ठोस अपशषिट को रखने के लिये अपर्याप्त हैं।

- अध्ययनों से पता चलता है कि शहरी स्थानीय निकाय [ठोस अपशष्टि प्रबंधन नियम 2016](#) के तहत नियमों को लागू करने और बनाए रखने में संघर्ष कर रहे हैं, जैसे- घर-घर जाकर अलग-अलग प्रकार के अपशष्टि का संग्रह करना।
- नियमों के तहत कचरा संग्रह स्थल निर्धारित हैं, लेकिन नियमों के कार्यान्वयन और जागरूकता की कमी है।
- इसके कारण इधर-उधर बखिरा अपशष्टि देखा जाता है।
- **मलनि बस्तियों के साथ डंपिंग साइट्स की नकिलता:**
 - अधिकांश लैंडफिल और डंपिंग साइट शहरों की परिधि में, झुग्गी बस्तियों और बस्ती कॉलोनियों के बगल में स्थित हैं।
 - मुंबई में सबसे सस्ते आवास देवनार के पास पाए जा सकते हैं जो 256 झुग्गियों और 13 पुनर्वास कॉलोनियों के नकिल स्थिति हैं।
 - शहरी मलनि बस्तियों में रहने वाले लोगों में कुत्ते के काटने के मामले बेहसाब आते रहते हैं। रपिर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021 में पुणे के शविनेरी नगर झुग्गी में रहने वाले 300 लोगों ने इलाके में आवारा कुत्तों के काटने की शिकायत की थी।
- **डेटा संग्रह तंत्र का अभाव:**
 - भारत में ठोस अथवा तरल अपशष्टि के संबंध में समयबद्ध डेटा अथवा पैनल डेटा की कमी है, जिससे नजी संस्थाओं के लिये अपशष्टि प्रबंधन नीतियों की लागत और लाभों के बीच संबंध को समझना मुश्किल हो जाता है।

अपशष्टि प्रबंधन से संबंधित पहल:

■ [ठोस अपशष्टि प्रबंधन नियम 2016:](#)

- ये कानून, जो नगरपालिका ठोस अपशष्टि (प्रबंधन और हैंडलिंग) कानून, 2000 को प्रतिस्थापित करते हैं, स्रोत पर अपशष्टि पृथक्करण, सैनिटरी और पैकेजिंग अपशष्टि के नपिटान हेतु नरिमाता की ज़म्मेदारी एवं बल्क जनरेटर से संग्रह, नपिटान तथा प्रसंस्करण के लिये उपयोगकर्ता शुल्क पर ज़ोर देते हैं।

■ [वेस्ट टू वेलथ पोर्टल:](#)

- इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्रियों का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है।

■ [अपशष्टि से ऊर्जा:](#)

- अपशष्टि-से-ऊर्जा या ऊर्जा-से-अपशष्टि संयंत्र औद्योगिक प्रसंस्करण के लिये नगरपालिका एवं औद्योगिक ठोस अपशष्टि को वदियुत और/या ऊष्मा में परिवर्तित करता है।

■ [प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन \(PWM\) नियम, 2016:](#)

- यह प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक अपशष्टि को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के बीच स्रोत पर अपशष्टि का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर ज़ोर देता है।
- फरवरी 2022 में [प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन \(संशोधन\) नियम, 2022](#) को अधिसूचित किया गया था।

■ [प्रोजेक्ट रप्लान \(REPLAN\):](#)

- इसका उद्देश्य 20:80 के अनुपात में कपास के रेशों के साथ प्रसंस्कृत एवं उपचारित प्लास्टिक अपशष्टि को मिलाकर कैरी बैग बनाना है।

■ [प्लास्टिक अपशष्टि प्रबंधन \(संशोधन\) नियम, 2022:](#)

- नियम विभिन्न हतिधारकों जैसे- नरिमाताओं, आयातकों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं की ज़म्मेदारियों को नरिदष्टि करते हैं। इन सभी हतिधारकों को यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभानी है कि प्लास्टिक अपशष्टि का उचित प्रबंधन किया जाए एवं इससे पर्यावरण प्रदूषित न हो।

आगे की राह

- सार्वजनिक स्थानों पर अपशष्टि प्रबंधन में सुधार और बेकरियों के आसपास भोजन को वनियमिति करने से पर्यावरण की वहन क्षमता कम हो सकती है।
- ऐसी घटनाओं को कम करने हेतु अपशष्टि नपिटान सुविधाओं में सुधार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल कुत्तों की नसबंदी और टीकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा।
- सामुदायिक स्तर पर विकेंद्रीकृत अपशष्टि प्रबंधन प्रणालियाँ शुरू की जा सकती हैं ताकि एक केंद्रीकृत स्थान पर बड़ी मात्रा में नगर नगिम के कचरे को संभालने का बोझ कम किया जा सके। अनौपचारिक श्रमिकों के लिये नौकरी के अवसर प्रदान किये जा सकें और परिवहन एवं भंडारण लागत को कम किया जा सके।
- अपशष्टि प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय और स्कूल स्तर पर अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. भारत में ठोस अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार, नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

- (a) अपशष्टि उत्पादक को पाँच कोटयों में अपशष्टि अलग-अलग करने होंगे।
- (b) ये नयिम केवल अधसूचति नगरीय स्थानीय नकियों, अधसूचति नगरों तथा सभी औद्योगकि नगरों पर ही लागू होंगे।
- (c) इन नयिमों में अपशष्टि भराव स्थलों तथा अपशष्टि प्रसंस्करण सुवधियों के लयि सटीक और वसितृत मानदंड उपबंधति हैं।
- (d) अपशष्टि उत्पादक के लयि यह आज्ञापक होगा कि किसी एक ज़ल्लि में उत्पादति अपशष्टि, किसी अन्य ज़ल्लि में न ले जाया जाए।

उत्तर: (c)

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. नरितर उत्पन्न कयि जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की वशिल मातृरा का नसितारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परविश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशष्टिों को सुरक्षति रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018)

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/solid-waste-management-2>

